A 58

Sudarshan Park Welfare Association

REGD. NO. S-23932

CALOR SCHOOL ROAD, MITHAPUR EXTN., NEW DELHI-110 044

Ref. No. Dated 11/11/11

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4005
Date 18/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा सुदर्शन पार्क (1639/327) कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि सुदर्शन पार्क (1639/327) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 327 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके का संरक्षण करने की बात कही है।

हमारी कालोनी सुदर्शन पार्क (1639/327) यमुना नदी से लगभग काफी दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के अग्रभाग पर नहीं बैठे है। हमारी कालोनी के बाद दिल्ली की कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही कालोनियों को पी जोन में रखा गया है, फिर हम तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बैठे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

17/11 PS to UDM
Secretary UD

(मुकेश गिरी)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः-

1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय निदेशक (योजना), एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास मीनार, 6वीं मंजिल, नई दिल्ली-110002
3- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
4- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।